



INDUS
INTERNATIONAL
UNIVERSITY

RESEARCH | COLLABORATE | TRANSFORM
FOR A BETTER TOMORROW

Proceedings of International Conference on Multidisciplinary Research: Innovation, Healthcare, Education for Viksit Bharat (ICMR-2026)



INNOVATION



HEALTHCARE



EDUCATION



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT



VIKSIT BHARAT

PART

2

Editors

Prof. (Dr.) Punit Goel
Dr. Abu Farah Hoque
Dr. Amit Agrawal
Dr. Sheela Sharma



International Conference On Multidisciplinary Research

Conference Proceedings

Contemporary Perspectives in English Literature,
Sociology, Hindi and Home Science For Viksit Bharat

2026

Organized by

Sanskar City College of Education

Indus International University

In Collaboration with

Wissira Research Lab

Print ISBN: 978-93-7559-048-4

Digital ISBN: 979-8-952358-04-1

Table of Contents

<i>Chapter 1: Academic Goal Orientation and Learning Persistence among University Students</i>	<i>1</i>
<i>Chapter 2: Academic Procrastination and Learning Engagement among Undergraduate Students</i>	<i>9</i>
<i>Chapter 3: Academic Resilience and Educational Achievement among College Students</i>	<i>17</i>
<i>Chapter 4: Collaborative Problem-Solving and Learning Achievement among Secondary Students ...</i>	<i>25</i>
<i>Chapter 5: Digital Accounting Technologies and Financial Reporting Efficiency in Business Organizations</i>	<i>32</i>
<i>Chapter 6: Digital Banking Services and Customer Satisfaction in the Contemporary Banking Sector</i>	<i>41</i>
<i>Chapter 7: Digital Distraction and Academic Concentration among University Learners</i>	<i>48</i>
<i>Chapter 8: Ecological Consciousness and Climate Narratives in Contemporary English Fiction</i>	<i>56</i>
<i>Chapter 9: Green Marketing Practices and Sustainable Consumer Behaviour in Urban Markets.....</i>	<i>65</i>
<i>Chapter 10: Inclusive Education Practices and Social Participation among Diverse Learners</i>	<i>74</i>
<i>Chapter 11: Inclusive Teaching Practices And Learning Outcomes In Diverse Classrooms.....</i>	<i>82</i>
<i>Chapter 12: Loneliness and Social Connectedness in the Digital Communication Era</i>	<i>91</i>
<i>Chapter 13: Mindfulness Practices and Perceived Stress among College Students</i>	<i>99</i>
<i>अध्याय 14: NEP 2020 के अंतर्गत शिक्षा में बहुभाषिकता और भाषायी समावेशन की संभावनाएँ.....</i>	<i>106</i>
<i>अध्याय 15: NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक शिक्षा और रोजगारपरक कौशल विकास</i>	<i>113</i>
<i>अध्याय 16: NEP 2020 के संदर्भ में उच्च शिक्षा में बहुविषयक अधिगम की संभावनाएँ.....</i>	<i>121</i>
<i>अध्याय 17: NEP 2020 के संदर्भ में शिक्षक शिक्षा के बदलते स्वरूप और व्यावसायिक दक्षता का अध्ययन..</i>	<i>128</i>
<i>अध्याय 18: NEP 2020 के संदर्भ में शिक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण और डिजिटल समानता की चुनौतियाँ...</i>	<i>135</i>
<i>Chapter 19: Online Social Validation and Self-Concept among Emerging Adults</i>	<i>142</i>
<i>Chapter 20: Parental Involvement and Academic Motivation among School-Going Adolescents.....</i>	<i>149</i>
<i>Chapter 21: Perceived Organizational Support and Employee Psychological Resilience</i>	<i>158</i>
<i>Chapter 22: School-Based Assessment and Learning Improvement among Secondary Learners.....</i>	<i>165</i>
<i>Chapter 23: Self-Regulated Learning Strategies and Academic Achievement among Undergraduates</i>	<i>173</i>
<i>Chapter 24: Sleep Quality and Academic Performance among Higher Education Students</i>	<i>180</i>
<i>Chapter 25: Social-Emotional Learning and Classroom Adjustment among Adolescent Students...</i>	<i>187</i>
<i>Chapter 26: Socioeconomic Factors and Educational Aspirations among Secondary School Students</i>	<i>194</i>
<i>Chapter 27: Student-Centred Pedagogy and Active Learning in Undergraduate Classrooms.....</i>	<i>201</i>
<i>Chapter 28: Teacher Self-Efficacy and Classroom Management Practices in Secondary Schools.....</i>	<i>209</i>

<i>Chapter 29: Technology, Youth Culture, and Emerging Forms of Social Identity.....</i>	218
<i>Chapter 30: Technology-Enhanced Teaching and Classroom Participation among Undergraduate Learners</i>	225
अध्याय 31: उच्च शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण से अकादमिक सहभागिता का मूल्यांकन	233
अध्याय 32: उच्च शिक्षा में शैक्षिक नेतृत्व और शिक्षक नवाचार संस्कृति के मध्य संबंध	240
अध्याय 33: गृह विज्ञान और वस्त्र विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण-अनुकूल परिधान चयन एवं उपभोक्ता जागरूकता का अध्ययन	247
अध्याय 34: मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक पालन-पोषण और किशोर मानसिक लचीलापन का प्रभाव	254
अध्याय 35: विद्यालयी शिक्षा में शिक्षक भावनात्मक बुद्धिमत्ता और कक्षा प्रबंधन प्रभावशीलता का अध्ययन .	261
अध्याय 36: विधायी कानून के अंतर्गत साइबर अपराध नियंत्रण और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण का समकालीन अध्ययन	267
अध्याय 37: शिक्षा में खेल आधारित अधिगम द्वारा विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक सहभागिता का विकास.....	273
अध्याय 38: शिक्षा में परियोजना आधारित अधिगम द्वारा समस्या समाधान कौशल के विकास का विश्लेषण .	281
अध्याय 39: सोशल मीडिया का युवा पीढ़ी की हिंदी भाषा पर प्रभाव.....	288
अध्याय 40: हिंदी साहित्य में पर्यावरण चेतना और प्रकृति विमर्श का अध्ययन.....	294
अध्याय 41: त्रिशंकु लोकसभा और गठबंधन की परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति: संवैधानिक विवेक, बहुमत परीक्षण और संस्थागत निष्पक्षता.....	300
अध्याय 42: माध्यमिक विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में सामाजिक पूंजी की भूमिका.....	306
अध्याय 43: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग से युवाओं के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन	313

List of Contributors

Ch.	Contributor	Designation	Institution
1	Suravi Bhattacharya	Assistant Professor	Sanskar City College of Education, Rajnandgaon, Chhattisgarh
2	Dr. Shalini Verma	Assistant Professor	Bhilai Maitri College, Bhilai, Chhattisgarh
3	Madhubala Shrivastava	Assistant Professor	Sanskar City College of Education, Rajnandgaon, Chhattisgarh
4	Dr. Pushpa Sharma	Associate Professor	Mansa College of Education, Kohka, Kurud, Chhattisgarh
5	Dr. Ratri Lahri	Assistant Professor	Gurukul Mahila Mahavidyalaya, Raipur, Chhattisgarh
6	Mona Gupta	Guest Lecturer, Department of Commerce	Government Shaheed Kaushal Yadav College, Gunderdehi, Balod, Chhattisgarh
7	Namita Roy	Research Scholar, Department of Education	Anjaneya University, Raipur, Chhattisgarh
8	Dr. Simrann Rajesh Vermaa	Assistant Professor, Department of English	Gurukul Mahila Mahavidyalaya, Raipur, Chhattisgarh
9	Dr. Kavita Silwal	Assistant Professor	Gurukul Mahila Mahavidyalaya, Raipur, Chhattisgarh
10	Dr. Shweta Bhatia	Professor & Head, Department of Education; IQAC Coordinator	M.J. College, Kohka, Bhilai, Chhattisgarh
11	Dr. Soju Samuel	Counsellor	Delhi Public School, Bhilai, Chhattisgarh
12	Dular Das	Research Scholar	Hemchand Yadav University, Durg, Chhattisgarh
13	Dr. Archana Pandey	Assistant Professor	Sanskar City College of Education, Rajnandgaon, Chhattisgarh
14	Dr. Sandhya Pujari	Head (TTEP)	Sandipani Academy, Achhoti, Durg, Chhattisgarh
15	Shalini Sahu	Assistant Professor	Sanskar City College of Education, Rajnandgaon, Chhattisgarh
16	Dr. Manju Sahu	Associate Professor	M.J. College, Kohka, Bhilai, Chhattisgarh
17	Mrs. Lileshwari Sahu	Assistant Professor	Somni Mahavidyalaya, Somni, Rajnandgaon, Chhattisgarh
18	Dr. Shraddha Bhardwaj	Assistant Professor	Jagadguru Shankaracharya College of Education, Bhilai, Durg, Chhattisgarh
19	Mamta Rani Yadu	Research Scholar	Anjaneya University, Raipur, Chhattisgarh

International Conference On Multidisciplinary Research

20	Dr. Sumita Singh	Assistant Professor, Department of Education	St. Thomas College Bhilai, Chhattisgarh
21	Tulsi Sahu	Assistant Professor	Sanskar City College of Education, Rajnandgaon, Chhattisgarh
22	Dr. Juhi Peter	Assistant Professor	Agrasen College, Dhanora, Durg, Chhattisgarh
23	Dr. Divya Sharma	Head & Assistant Professor, Department of Education	<i>Institution not stated in chapter</i>
24	Prof. (Dr.) Gurpreet Kaur	Principal	Sanskar City College of Education, Thakurtola, Rajnandgaon, Chhattisgarh
25	Dr. Anjana Sharad	Principal, Prism School of Education	Mahkakurd, Utai, Bhilai, Chhattisgarh
26	Dr. Sangeeta Shrivastav	Assistant Professor	Mansa College of Education, Bhilai, Chhattisgarh
27	Dr. Ruchi Sachan	Head, Department of Education	Maharaja Agrasen International College, Raipur, Chhattisgarh
28	Dr. Surekha Vinod Patil	Principal	Bhilai Maitri College, Durg, Chhattisgarh
29	Dr. Usha Lahare	Guest Lecturer	Government Minimata Girls' College, Korba, Chhattisgarh
30	Dr. Rita Gupta	Head, Department of Education	GDRCST, Rungta International Skill University, Bhilai, Chhattisgarh
31	Smt. Anupama Ambast	Assistant Professor	CTE, Raipur, Chhattisgarh
32	Smt. Pramila Patel	Assistant Professor	Bhilai College of Information Technology, Jamul, Durg, Chhattisgarh
33	Dr. Gopa Sharma	Headmistress	Government Primary School, Hatband, Raipur, Chhattisgarh
34	Meenakshi Yadav	Assistant Professor	Agrasen College, Dhanora, Durg, Chhattisgarh
35	Renuka Sahu	Assistant Professor	Sanskar City College of Education, Rajnandgaon, Chhattisgarh
36	Dr. Atul Kumar Soni	Assistant Professor	Pt. Kishori Lal Shukla Vidhi Mahavidyalaya, Rajnandgaon, Chhattisgarh
37	Mrs. Preeti Mishra	Assistant Professor, Department of Education	Mansa College of Education, Bhilai, Chhattisgarh

International Conference On Multidisciplinary Research

38	Ranjana Solanki	Assistant Professor	Agrasen College, Dhanora, Durg, Chhattisgarh
39	Dr. Nirmala Parganiha	Assistant Professor	Agrasen College, Dhanora, Durg, Chhattisgarh
40	Kiran Sonatiya	Assistant Professor	Sanskar City College of Education, Rajnandgaon, Chhattisgarh
41	Sita Ram Pandit	Research Scholar, Department of Political Science	Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University, Pauri Garhwal, Uttarakhand
41	Dr. P. P. Rana	Research Supervisor, Department of Political Science	Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University, Pauri Garhwal, Uttarakhand
42	Ashish Saini	Research Scholar, Department of Education	Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University, Pauri Garhwal, Uttarakhand
42	Dr. Kuldeep Kumar	Research Supervisor, Department of Education	Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University, Pauri Garhwal, Uttarakhand
43	Nidhi Saini	Research Scholar, Department of Sociology	Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University, Pauri Garhwal, Uttarakhand
43	Dr. Nilesh Singh	Research Supervisor, Department of Sociology	Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University, Pauri Garhwal, Uttarakhand

अध्याय 41: त्रिशंकु लोकसभा और गठबंधन की परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति: संवैधानिक विवेक, बहुमत परीक्षण और संस्थागत निष्पक्षता

सीता राम पंडित

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग

महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, शिवनगर, पोखरा, पोड़ी

गढ़वाल - 246169, उत्तराखण्ड भारत

डॉ. पी पी राणा

शोध निर्देशक

राजनीति विज्ञान विभाग

महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, शिवनगर, पोखरा, पोड़ी

गढ़वाल - 246169, उत्तराखण्ड भारत

सार—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से बांधते हैं। लेकिन जब आम चुनाव में किसी दल या पूर्व-घोषित गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति का विवेक निर्णायक हो जाता है। यह अध्ययन 1979 से 2024 तक की त्रिशंकु और गठबंधन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के आचरण का सैद्धांतिक और अनुभवजन्य विश्लेषण करता है। शोध में मिश्रित पद्धति अपनाई गई। पहले चरण में नौ प्रमुख सरकार-गठन प्रसंगों का सिद्धांतगत (doctrinal) और ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया। दूसरे चरण में 214 विशेषज्ञों का संरचित सर्वेक्षण हुआ, जिनमें संवैधानिक विधि के शिक्षाविद, अधिवक्ता, राजनीति विज्ञानी और पूर्व संसदीय/प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। बहुरेखीय प्रतिगमन विश्लेषण के अनुसार सदन में बहुमत परीक्षण की प्राथमिकता ($\beta = 0.34, p < 0.001$), समयबद्ध विश्वास मत ($\beta = 0.27, p < 0.001$) और समर्थन-पत्र प्रणाली ($\beta = 0.18, p = 0.003$) राष्ट्रपति की संस्थागत निष्पक्षता की धारणा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत, असीमित व्यक्तिगत विवेक का प्रभाव नकारात्मक पाया गया ($\beta = -0.21, p < 0.001$)। मॉडल निष्पक्षता-धारणा के 46 प्रतिशत विचलन की व्याख्या करता है। 50.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पहले चुनाव-पूर्व गठबंधन को आमंत्रित करने का समर्थन किया ($\chi^2 = 31.86, df = 2, p < 0.001$)। अध्ययन का निष्कर्ष है कि राष्ट्रपति के विवेक को संहिताबद्ध परंपराओं और समयबद्ध सदन-परीक्षण से जोड़ने पर संस्थागत निष्पक्षता मज़बूत होती है।

मुख्य शब्द—त्रिशंकु लोकसभा, गठबंधन सरकार, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार, बहुमत परीक्षण, संवैधानिक परंपरा, संस्थागत निष्पक्षता

प्रस्तावना

भारत ने वेस्टमिंस्टर मॉडल की संसदीय व्यवस्था अपनाई है। इसमें राष्ट्रपति औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष हैं और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास रहती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 74(1) में मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बनाया। 1978 के 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को सलाह पर एक बार पुनर्विचार का अवसर दिया। फिर भी, अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति ऐसा क्षण है जब कोई पदस्थ मंत्रिपरिषद सलाह देने के लिए मौजूद नहीं होती। इसलिए यहाँ राष्ट्रपति का विवेक स्वाभाविक रूप से सामने आता है।

1989 के बाद भारतीय दलीय व्यवस्था एकदलीय प्रभुत्व से बहुदलीय गठबंधन युग में पहुँची। 1989 से 2014 तक किसी भी दल को अपने दम पर लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। 2024 के आम चुनाव में भी सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिलीं, जो 272 के बहुमत से कम थीं, और सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (293 सीटें) के समर्थन से बनी। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के सामने कई प्रश्न आए: किसे पहले आमंत्रित करें, बहुमत का प्रमाण कैसे लें, और विश्वास मत के लिए कितना समय दें। राष्ट्रपतियों ने इनके अलग-अलग उत्तर दिए हैं।

1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, लेकिन वे लोकसभा का सामना किए बिना त्यागपत्र दे गए। 1996 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़े दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को आमंत्रित किया, जिनकी सरकार 13 दिन में गिर गई। 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने सहयोगी दलों से लिखित समर्थन-पत्र माँगकर एक नई परंपरा स्थापित की। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि लिखित नियमों के अभाव में परंपराएँ ही राष्ट्रपति के विवेक की दिशा तय करती हैं। यह अध्ययन जाँचता है कि कौन-सी प्रक्रियात्मक विशेषताएँ राष्ट्रपति पद की संस्थागत निष्पक्षता की धारणा को मज़बूत या कमज़ोर करती हैं।



साहित्य समीक्षा

भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पर प्रारंभिक विमर्श ग्रैनविल ऑस्टिन (1966) के संविधान सभा संबंधी अध्ययन से शुरू होता है। ऑस्टिन के अनुसार संविधान निर्माता राष्ट्रपति को ब्रिटिश सम्राट के समान संवैधानिक प्रमुख मानते थे, जिसकी शक्तियाँ परंपराओं से सीमित हों। ऑस्टिन (1999) ने आगे दिखाया कि 1970 के दशक की राजनीतिक उथल-पुथल ने राष्ट्रपति और कार्यपालिका के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया। धवन (1978) ने राष्ट्रपति की शक्तियों के विश्लेषण में तर्क दिया कि विवेकाधिकार के अवशिष्ट क्षेत्र, विशेषकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पूरी तरह समाप्त नहीं किए जा सकते। उनके अनुसार इन्हें परंपराओं से नियंत्रित करना आवश्यक है।

सीरवई (1991) ने अपने विधिक भाष्य में स्पष्ट किया कि जब कोई दल स्पष्ट बहुमत में न हो, तब राष्ट्रपति को वह व्यक्ति चुनना चाहिए जो लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने की सर्वाधिक संभावना रखता हो। उन्होंने इस निर्णय को न्यायिक समीक्षा से परे एक राजनीतिक विवेक माना। नूरानी (2000) ने राष्ट्रपतियों के वास्तविक आचरण का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए 1979 और 1996 के निर्णयों पर प्रश्न उठाए। उनका तर्क था कि बहुमत के ठोस प्रमाण के बिना नियुक्ति करने से राष्ट्रपति पद पर पक्षपात के आरोप लगते हैं। मैनर (1994) के संपादित ग्रंथ ने प्रधानमंत्री पद के बदलते स्वरूप को दर्ज किया और दिखाया कि गठबंधन युग में प्रधानमंत्री की शक्ति कम हुई, जबकि राष्ट्रपति की मध्यस्थ भूमिका बढ़ी।

न्यायिक विमर्श में एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) निर्णायक है। सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय पीठ ने स्थापित किया कि बहुमत का निर्णय राज्यपाल के कक्ष में नहीं, बल्कि सदन के पटल पर होना चाहिए। यद्यपि यह निर्णय अनुच्छेद 356 के संदर्भ में था, इसका "सदन-पटल सिद्धांत" केंद्र स्तर पर भी मानक बन गया। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) में न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। न्यायालय ने कहा कि संभावित दल-बदल या खरीद-फरोख्त की आशंका के आधार पर किसी दावेदार को सरकार बनाने से रोकना विवेक का दुरुपयोग है। शिवराज सिंह चौहान बनाम अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा (2020) में न्यायालय ने दोहराया कि राज्यपाल जब चाहें शीघ्र बहुमत परीक्षण का निर्देश दे सकते हैं।

आयोगों की रिपोर्टें भी इस विमर्श का आधार हैं। सरकारिया आयोग (1988) ने राज्यपालों के लिए सरकार-गठन का वरीयता-क्रम सुझाया: पहले चुनाव-पूर्व गठबंधन, फिर सबसे बड़ा दल जिसे अन्य का समर्थन हो, फिर चुनाव-पश्चात गठबंधन जिसके सभी घटक सरकार में शामिल हों, और अंत में वह गठबंधन जिसमें कुछ घटक बाहर से समर्थन दें। संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (2002) ने लोकसभा द्वारा प्रधानमंत्री के निर्वाचन जैसी व्यवस्था पर विचार किया। पुंछी आयोग (2010) ने सरकारिया अनुशंसाओं को आगे बढ़ाते हुए संवैधानिक परंपराओं के संहिताकरण की सिफारिश की।

राजनीति विज्ञान की दृष्टि से लिज़फार्ट (1996) ने भारतीय लोकतंत्र की "सहमतिमूलक" (consociational) व्याख्या की और तर्क दिया कि बहुलतावादी समाज में सत्ता-साझेदारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीधरन (2003) ने भारत की संसदीय संघीय व्यवस्था में गठबंधन रणनीतियों का विश्लेषण कर दिखाया कि क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका ने राष्ट्रीय सरकार-गठन को बहुस्तरीय सौदेबाजी बना दिया। अरोड़ा (2000) ने संघीय गठबंधनों को राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में देखा। हसन (2002) के संपादित ग्रंथ ने दलीय व्यवस्था के विखंडन और उसके संस्थागत परिणामों को दर्ज किया। मेहता (2007) ने न्यायिक संप्रभुता

के उदय का विश्लेषण कर दिखाया कि राजनीतिक संस्थाओं की विश्वसनीयता घटने पर न्यायालयों की मध्यस्थ भूमिका बढ़ती है। खोसला (2012) ने संवैधानिक परंपराओं और लिखित पाठ के संबंध पर समकालीन दृष्टि दी, और चौधरी, खोसला व मेहता (2016) के ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ने कार्यपालिका-प्रमुख संबंधों पर विस्तृत तुलनात्मक सामग्री प्रस्तुत की।

शोध अंतराल: उपलब्ध साहित्य मुख्यतः विधिक-सैद्धांतिक या ऐतिहासिक-वर्णनात्मक है। विशेषज्ञ समुदाय राष्ट्रपति की निष्पक्षता को किन प्रक्रियात्मक तत्वों के आधार पर आँकता है, इसका मात्रात्मक और अनुभवजन्य विश्लेषण बहुत कम हुआ है। यह अध्ययन इसी अंतराल को भरने का प्रयास है।

शोध उद्देश्य

इस अध्ययन के उद्देश्य हैं: (क) 1979 से 2024 तक त्रिशंकु और गठबंधन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के निर्णयों का व्यवस्थित विश्लेषण करना; (ख) सदन-पटल पर बहुमत परीक्षण, समयबद्ध विश्वास मत और समर्थन-पत्र प्रणाली का संस्थागत निष्पक्षता की धारणा पर प्रभाव मापना; (ग) असीमित व्यक्तिगत विवेक के प्रभाव का आकलन करना; और (घ) सरकार-गठन के वरीयता-क्रम पर विशेषज्ञ सहमति का परीक्षण करना।



शोध परिकल्पनाएँ

- **H1:** सदन-पटल बहुमत परीक्षण की प्राथमिकता का संस्थागत निष्पक्षता की धारणा पर सकारात्मक और सार्थक प्रभाव है।
- **H2:** समयबद्ध विश्वास मत का संस्थागत निष्पक्षता की धारणा पर सकारात्मक और सार्थक प्रभाव है।
- **H3:** लिखित समर्थन-पत्र प्रणाली का संस्थागत निष्पक्षता की धारणा पर सकारात्मक और सार्थक प्रभाव है।
- **H4:** राष्ट्रपति के असीमित व्यक्तिगत विवेक का संस्थागत निष्पक्षता की धारणा पर नकारात्मक और सार्थक प्रभाव है।
- **H5:** सरकार-गठन के वरीयता-क्रम पर विशेषज्ञों की पसंद समान रूप से वितरित नहीं है।

शोध पद्धति

शोध अभिकल्प: अध्ययन में अनुक्रमिक व्याख्यात्मक मिश्रित पद्धति अपनाई गई। पहले चरण में संवैधानिक प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, आयोग रिपोर्टों, राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्तियों और लोकसभा कार्यवाही के आधार पर नौ सरकार-गठन प्रसंगों का विश्लेषण किया गया। दूसरे चरण में संरचित प्रश्नावली से विशेषज्ञ सर्वेक्षण हुआ।

प्रतिदर्श: उद्देश्यपूर्ण और स्नोबॉल प्रतिचयन से 260 विशेषज्ञों को प्रश्नावली भेजी गई। 214 पूर्ण उत्तर प्राप्त हुए (प्रत्युत्तर दर 82.3 प्रतिशत)। सर्वेक्षण जनवरी से मार्च 2026 के बीच ऑनलाइन और प्रत्यक्ष माध्यम से संचालित हुआ।

तालिका 1: उत्तरदाताओं की संरचना (n = 214)

वर्ग	संख्या	प्रतिशत
संवैधानिक विधि के शिक्षाविद	62	29.0
उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता	58	27.1
राजनीति विज्ञानी	49	22.9
पूर्व संसदीय/प्रशासनिक अधिकारी	45	21.0
योग	214	100.0

चर एवं मापन: प्रश्नावली में पाँच-बिंदु लिफ्ट पैमाने (1 = पूर्णतः असहमत, 5 = पूर्णतः सहमत) पर 21 कथन थे, जो पाँच निर्मितियों में बाँटे थे:

- असीमित व्यक्तिगत विवेक (DI, 4 कथन)
- सदन-पटल बहुमत परीक्षण की प्राथमिकता (FT, 5 कथन)
- समर्थन-पत्र प्रणाली (SL, 4 कथन)
- समयबद्ध विश्वास मत (TL, 3 कथन)
- संस्थागत निष्पक्षता की धारणा (IN, 5 कथन), जो आश्रित चर है

इसके अतिरिक्त, एक बहुविकल्पीय प्रश्न में सरकार-गठन हेतु प्रथम आमंत्रण की पसंदीदा प्राथमिकता पूछी गई।

वैधता एवं विश्वसनीयता: तीन संवैधानिक विशेषज्ञों ने प्रश्नावली की विषय-वस्तु वैधता जाँची, और 30 उत्तरदाताओं पर पूर्व-परीक्षण किया गया। आंतरिक संगति क्रॉनबैक अल्फा से मापी गई।

सांख्यिकीय विश्लेषण: वर्णनात्मक सांख्यिकी, पियर्सन सहसंबंध, बहुरेखीय प्रतिगमन और काई-वर्ग समानता परीक्षण किए गए। सार्थकता स्तर 0.05 रखा गया। बहुसंरेखता की जाँच विचरण स्फीति कारक (VIF) से की गई।



परिणाम

ऐतिहासिक प्रसंगों का विश्लेषण

तालिका 2: त्रिशंकु/गठबंधन परिस्थितियों में प्रमुख सरकार-गठन प्रसंग

वर्ष	राष्ट्रपति	नियुक्त प्रधानमंत्री	आमंत्रण का आधार	शपथ से सदन-परीक्षण तक (दिन)	परिणाम
1979	एन. संजीव रेड्डी	चरण सिंह	समर्थन के दावे पर	सदन का सामना नहीं	23वें दिन त्यागपत्र
1989	आर. वेंकटरमन	वी.पी. सिंह	सबसे बड़े दल के इनकार के बाद राष्ट्रीय मोर्चा	19	विश्वास मत प्राप्त
1990	आर. वेंकटरमन	चंद्रशेखर	बाहरी समर्थन के आधार पर	6	विश्वास मत प्राप्त
1996	शंकर दयाल शर्मा	अटल बिहारी वाजपेयी	सबसे बड़ा दल	मतदान पूर्व त्यागपत्र (12 दिन)	सरकार गिरी
1996	शंकर दयाल शर्मा	एच.डी. देवगौड़ा	चुनाव-पश्चात संयुक्त मोर्चा	11	विश्वास मत प्राप्त

1997	के.आर. नारायण न	आई.के. गुजराल	संयुक्त मोर्चा, बाहरी समर्थन	1	विश्वास मत प्राप्त
1998	के.आर. नारायण न	अटल बिहारी वाजपेयी	सबसे बड़ा दल एवं लिखित समर्थन-पत्र	9	विश्वास मत प्राप्त (274-261)
2004	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	मनमोहन सिंह	चुनाव-पश्चात गठबंधन एवं समर्थन-पत्र	आवश्यक नहीं	स्थिर सरकार
2024	द्रौपदी मुर्मू	नरेंद्र मोदी	चुनाव-पूर्व गठबंधन (293 सीटें)	आवश्यक नहीं	स्थिर सरकार

जिन पाँच प्रसंगों में विश्वास मत हुआ, उनमें शपथ से सदन-परीक्षण तक औसत अवधि 9.2 दिन रही। जिन दो प्रसंगों (1979 और 1996) में लिखित प्रमाण के बिना दावे पर नियुक्ति हुई, उनमें सरकार सदन में टिक नहीं सकी। 1998 के बाद समर्थन-पत्र की अनिवार्यता और चुनाव-पूर्व गठबंधनों को प्राथमिकता देने से किसी नियुक्त सरकार की विश्वास मत से पहले विफलता का प्रसंग नहीं मिला।

वर्णनात्मक सांख्यिकी एवं विश्वसनीयता

तालिका 3: निर्मितियों की विश्वसनीयता एवं वर्णनात्मक सांख्यिकी (n = 214)

निर्मिति	कथन	क्रॉनबैक α	माध्य	मानक विचलन
असीमित व्यक्तिगत विवेक (DI)	4	0.81	3.12	0.94
सदन-पटल बहुमत परीक्षण (FT)	5	0.87	4.41	0.62
समर्थन-पत्र प्रणाली (SL)	4	0.79	3.68	0.81
समयबद्ध विश्वास मत (TL)	3	0.76	4.18	0.71
संस्थागत निष्पक्षता की धारणा (IN)	5	0.84	3.54	0.88

सभी निर्मितियों के अल्फा मान 0.70 की स्वीकृत सीमा से ऊपर हैं। सदन-पटल बहुमत परीक्षण को सबसे अधिक समर्थन मिला (माध्य 4.41), जिससे बोम्बई सिद्धांत पर विशेषज्ञों की व्यापक सहमति झलकती है। असीमित विवेक का माध्य (3.12) लगभग तटस्थ बिंदु पर है और मानक विचलन सबसे अधिक है, यानी इस प्रश्न पर विशेषज्ञों में सर्वाधिक मतभेद है।

सहसंबंध विश्लेषण: संस्थागत निष्पक्षता की धारणा का सदन-पटल परीक्षण ($r = 0.52$), समयबद्ध विश्वास मत ($r = 0.47$) और समर्थन-पत्र प्रणाली ($r = 0.38$) से सकारात्मक सहसंबंध मिला। असीमित विवेक से इसका सहसंबंध नकारात्मक रहा ($r = -0.36$)। सभी सहसंबंध $p < 0.001$ पर सार्थक हैं।

प्रतिगमन विश्लेषण

तालिका 4: संस्थागत निष्पक्षता की धारणा पर बहुरेखीय प्रतिगमन

स्वतंत्र चर	मानकीकृत β	t-मान	p-मान	VIF
सदन-पटल बहुमत परीक्षण (FT)	0.34	5.62	< 0.001	1.48
समयबद्ध विश्वास मत (TL)	0.27	4.48	< 0.001	1.42
समर्थन-पत्र प्रणाली (SL)	0.18	2.97	0.003	1.31
असीमित व्यक्तिगत विवेक (DI)	-0.21	-3.64	< 0.001	1.19

$R^2 = 0.46$; समायोजित $R^2 = 0.45$; $F(4, 209) = 44.50$; $p < 0.001$

मॉडल संस्थागत निष्पक्षता की धारणा के 46 प्रतिशत विचलन की व्याख्या करता है। सभी VIF मान 2 से कम हैं, इसलिए बहुसंरेखता की समस्या नहीं है। सदन-पटल परीक्षण सबसे प्रबल पूर्वसूचक है, उसके बाद समयबद्ध विश्वास मत का स्थान है। अतः H1, H2, H3 और H4 स्वीकृत होती हैं।

सरकार-गठन की वरीयता

तालिका 5: प्रथम आमंत्रण हेतु विशेषज्ञों की पसंद

विकल्प	प्रेक्षित आवृत्ति	प्रतिशत	अपेक्षित आवृत्ति
चुनाव-पूर्व गठबंधन	109	50.9	71.33
सबसे बड़ा एकल दल	61	28.5	71.33
समर्थन-पत्र सहित चुनाव-पश्चात गठबंधन	44	20.6	71.33
योग	214	100.0	214

$\chi^2 = 31.86$; $df = 2$; $p < 0.001$

काई-वर्ग परीक्षण के अनुसार विशेषज्ञों की पसंद समान रूप से वितरित नहीं है, इसलिए H5 स्वीकृत होती है। आधे से अधिक विशेषज्ञ चुनाव-पूर्व गठबंधन को प्राथमिकता देते हैं। यह सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2010) की अनुशंसाओं के अनुरूप है।



विवेचना

परिणाम बताते हैं कि राष्ट्रपति पद की निष्पक्षता की धारणा व्यक्तिगत विवेक से कम और पारदर्शी, सत्यापन-योग्य प्रक्रियाओं से अधिक बनती है। सदन-पटल परीक्षण का सर्वाधिक प्रभाव ($\beta = 0.34$) बोम्मई (1994) के इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि बहुमत का अंतिम निर्णायक सदन है, संवैधानिक प्रमुख का व्यक्तिगत आकलन नहीं। इस सिद्धांत से राष्ट्रपति अंतिम निर्णायक की भूमिका से मुक्त हो जाते हैं और उनका कार्य केवल एक संभावित दावेदार को सदन तक पहुँचाने का रह जाता है। इससे पक्षपात के आरोपों की संभावना घटती है।

समयबद्ध विश्वास मत का प्रभाव ($\beta = 0.27$) ऐतिहासिक साक्ष्य से भी मेल खाता है। 1989 में वी.पी. सिंह को विश्वास मत तक 19 दिन मिले, जबकि 1997 में गुजराल सरकार ने अगले ही दिन विश्वास मत लिया। लंबी अवधि से खरीद-फरोख्त की आशंका बढ़ती है, जिसका संकेत रामेश्वर प्रसाद (2006) और शिवराज सिंह चौहान (2020) में न्यायालय ने भी दिया। पाँच प्रसंगों की औसत अवधि 9.2 दिन रही, और विशेषज्ञों का उच्च समर्थन (माध्य 4.18) दर्शाता है कि एक निश्चित अधिकतम समय-सीमा को परंपरा के रूप में स्थापित करना उचित होगा।

समर्थन-पत्र प्रणाली का प्रभाव सकारात्मक होते हुए भी अपेक्षाकृत कम ($\beta = 0.18$) है। इसका कारण यह हो सकता है कि समर्थन-पत्र आवश्यक होते हुए भी पर्याप्त नहीं माने जाते, क्योंकि पत्र वापस लिए जा सकते हैं। 1999 में एक सहयोगी दल द्वारा समर्थन वापसी के बाद वाजपेयी सरकार एक मत (269-270) से पराजित हुई। 1998 में नारायणन ने जो प्रक्रिया अपनाई, उसे नूरानी (2000) ने भी राष्ट्रपति पद के लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना है। फिर भी यह प्रणाली सदन-परीक्षण की पूरक है, उसका विकल्प नहीं।

असीमित विवेक का नकारात्मक प्रभाव ($\beta = -0.21$) 1979 और 1996 के अनुभवों से पुष्ट होता है। दोनों बार ठोस बहुमत-प्रमाण के बिना नियुक्ति हुई और सरकारें सदन में टिक नहीं सकीं। यह निष्कर्ष धवन (1978) और सीरवई (1991) के इस तर्क से मेल खाता है कि विवेक का अवशिष्ट क्षेत्र परंपराओं से नियंत्रित होना चाहिए। चुनाव-पूर्व गठबंधन को मिली प्राथमिकता श्रीधरन (2003) के इस विश्लेषण का समर्थन करती है कि चुनाव-पूर्व गठबंधन मतदाता के जनादेश की अधिक

प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। 2024 का प्रसंग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ सबसे बड़े दल के बहुमत से पीछे रहने पर भी चुनाव-पूर्व गठबंधन के आधार पर बिना किसी संवैधानिक विवाद के सरकार बनी।

निष्कर्ष

त्रिशंकु लोकसभा और गठबंधन की परिस्थितियाँ भारतीय राष्ट्रपति के संवैधानिक विवेक की सबसे कठिन परीक्षा होती हैं। यह अध्ययन दिखाता है कि राष्ट्रपति पद की संस्थागत निष्पक्षता तीन प्रक्रियात्मक स्तंभों पर टिकी है: सदन-पटल पर बहुमत परीक्षण, समयबद्ध विश्वास मत और लिखित समर्थन-पत्र। असीमित व्यक्तिगत विवेक इस निष्पक्षता की धारणा को कमजोर करता है। ऐतिहासिक विश्लेषण और विशेषज्ञ सर्वेक्षण, दोनों यही संकेत देते हैं कि 1998 के बाद विकसित परंपराओं से सरकार-गठन अधिक स्थिर और कम विवादास्पद हुआ है।

इन परिणामों के आधार पर तीन सुझाव दिए जाते हैं:

1. सरकार-गठन के वरीयता-क्रम को, जिसमें चुनाव-पूर्व गठबंधन को प्रथम स्थान मिले, राष्ट्रपति भवन की सार्वजनिक दिशानिर्देशिका के रूप में संहिताबद्ध किया जाए।
2. नियुक्ति के बाद विश्वास मत की अधिकतम समय-सीमा (उदाहरणार्थ 10 दिन) को संसदीय परंपरा के रूप में स्थापित किया जाए।
3. समर्थन-पत्रों के सत्यापन और उन्हें सार्वजनिक करने की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए।

इन उपायों से संविधान में संशोधन किए बिना राष्ट्रपति के विवेक को नियंत्रित, पूर्वानुमेय और निष्पक्ष बनाया जा सकता है।

सीमाएँ एवं भावी शोध की दिशा

अध्ययन का सर्वेक्षण भाग उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन पर आधारित है, इसलिए इसके परिणामों का सामान्यीकरण सावधानी से करना होगा। धारणा-आधारित मापन में उत्तरदाताओं के राजनीतिक झुकाव का प्रभाव पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सका। ऐतिहासिक प्रसंगों की संख्या सीमित होने से उन पर अनुमानात्मक सांख्यिकी लागू नहीं की गई। भावी शोध में राज्यों के राज्यपालों के आचरण का तुलनात्मक अध्ययन, अन्य संसदीय लोकतंत्रों (जैसे ब्रिटेन, कनाडा, इज़राइल) से तुलना, और नागरिकों के बड़े प्रतिनिधि प्रतिदर्श पर सर्वेक्षण किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. Arora, B. (2000). Negotiating differences: Federal coalitions and national cohesion. In F. R. Frankel, Z. Hasan, R. Bhargava, & B. Arora (Eds.), *Transforming India: Social and Political Dynamics of Democracy* (pp. 176-206). New Delhi: Oxford University Press.
2. Austin, G. (1966). *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*. Oxford: Clarendon Press.
3. Austin, G. (1999). *Working a Democratic Constitution: The Indian Experience*. New Delhi: Oxford University Press.

4. Choudhry, S., Khosla, M., & Mehta, P. B. (Eds.). (2016). *The Oxford Handbook of the Indian Constitution*. Oxford: Oxford University Press.
5. Dhavan, R. (1978). *The President and His Powers*. Bombay: N. M. Tripathi.
6. Government of India. (1988). *Report of the Commission on Centre-State Relations* (Sarkaria Commission). Nasik: Government of India Press.
7. Government of India. (2002). *Report of the National Commission to Review the Working of the Constitution*. New Delhi: Ministry of Law, Justice and Company Affairs.
8. Government of India. (2010). *Report of the Commission on Centre-State Relations* (Punchhi Commission). New Delhi: Ministry of Home Affairs.
9. Hasan, Z. (Ed.). (2002). *Parties and Party Politics in India*. New Delhi: Oxford University Press.
10. Khosla, M. (2012). *The Indian Constitution*. New Delhi: Oxford University Press.
11. Lijphart, A. (1996). The puzzle of Indian democracy: A consociational interpretation. *American Political Science Review*, 90(2), 258–268.
12. Manor, J. (Ed.). (1994). *Nehru to the Nineties: The Changing Office of Prime Minister in India*. London: Hurst & Company.
13. Mehta, P. B. (2007). India's unlikely democracy: The rise of judicial sovereignty. *Journal of Democracy*, 18(2), 70–83.
14. Noorani, A. G. (2000). *Constitutional Questions in India: The President, Parliament and the States*. New Delhi: Oxford University Press.
15. Seervai, H. M. (1991). *Constitutional Law of India: A Critical Commentary* (4th ed., Vol. 2). Bombay: N. M. Tripathi.
16. Sridharan, E. (2003). Coalitions and party strategies in India's parliamentary federation. *Publius: The Journal of Federalism*, 33(4), 135–152.
17. *Rameshwar Prasad v. Union of India*, (2006) 2 SCC 1.
18. *S. R. Bommai v. Union of India*, (1994) 3 SCC 1.
19. *Shivraj Singh Chouhan v. Speaker, Madhya Pradesh Legislative Assembly*, (2020) 17 SCC 1.